

**अधिसूचना संख्या 186/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1973(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.844(ई) दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 द्वारा, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी, केन्द्रीय सरकार ने क्रमांक 14 पर, "निष्काम सिख कल्याण परिषद, बीएफ-33, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-110027" द्वारा "गांव खानपुर, जिला रोपड़, पंजाब में माता गुजरी वृद्धाश्रम-सह-अनाथालय के संचालन व्यय" को कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.259(ई) दिनांक 27 मार्च, 1997 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.924(ई) दिनांक 20 सितम्बर, 2001 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.724(ई) दिनांक 23 जून, 2004 के तहत वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.480(ई) दिनांक 29 मार्च, 2007 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2054(ई) दिनांक 6 सितम्बर, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 666(ई) दिनांक 12 मार्च, 2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ.924(ई) दिनांक 20 सितम्बर, 2001 द्वारा अनुमानित लागत 27.36 लाख रुपये से बढ़ाकर 99.00 लाख रुपये कर दी गई थी और अधिसूचना संख्या एस.ओ.724(ई) दिनांक 23 जून, 2004 द्वारा अनुमानित लागत 99.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 159.00 लाख रुपये कर दी गई थी;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 21 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि परियोजना की लागत ₹2 लाख से ₹1 लाख तक बढ़ने की संभावना है

और जहां सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 159 लाख रुपये से संशोधित करके 350 लाख रुपये करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), (क) एतद्वारा, "खानपुर गांव, जिला रोपड़, पंजाब में माता गुजरी वृद्धाश्रम-सह-अनाथालय के लिए चलने वाले खर्च" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो कि "निष्काम सिख कल्याण परिषद, बीएफ -33, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली -110027" द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए किया जा रहा है;

(ख) उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ.844(ई) दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित, क्रम संख्या 14 के सामने की तालिका में, कॉलम (4) में, "159.00 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्द के स्थान पर "350.00 लाख रुपए" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

■ ■